#### (TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)

#### GOVERNMENT OF NCT OF DELHI LABOUR DEPARTMENT 5 Sham Nath Marg, Delhi-110054.

F.9 (1)/89/DLC (W)/LC/1102-1130

Dated the 11/6/2012

#### NOTIFICATION

#### RULES

Short Title and commencement:

- 1. (1) These rules may be called the Delhi Labour Welfare Fund (Amendment) Rules, 2012.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

Amendment of rule 12

- 2. In the Delhi Labour Welfare Funds
  Rules, 1997 for Rule 12 the following shall be
  substituted, namely:-
- "12. The Board shall consist of a maximum of 17 Members including-
  - a) Three members each from the representatives of Employers, Employees and Women,
  - b) Two independent members,
  - c) Principal Secretary (Labour) / Secretary (Labour) Government of National Capital Territory of Delhi or his nominee,
  - d) Labour Commissioner, Govt. of National Capital Territory of Delhi or his nominee."

By order and in the name of the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi.

> (Piyush Sharma) Joint Secretary (Labour)

Govt. of National Capital Territory of Delhi.

.9 (1)/89/DLC (W)/LC / 1130

Dated: 11/6/2012

#### Copy forwarded to:-

1. All members of the Board.

2. The Principal Secretary to Hon'ble Lieutenant Governor, Raj Niwas, Delhi.

- 3. The Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister of Delhi, Delhi Sachivalaya, Players Building, I.P. Estate, New Delhi.
- 4. The Secretary to Hon'ble Minister (Education, Transport, Gurudwara Election and Administration), Govt. of NCT of Delhi.
- 5. The Secretary to Hon'ble Minister (Health & Family Welfare, Employment, Revenue Irrigation & Flood) Govt. of NCT of Delhi.
- The Secretary to Hon'ble Minister (Power, Food & Civil Supplies, Development) Govt. of NCT of Delhi.
- The Secretary to Hon'ble Minister (Social Welfare, Women & Child Department) Govt. of NCT of Delhi.
- 8. The Secretary to Hon'ble Minister (Public Works Department, SC/ST Welfare Department, Urban Development, Land and Building), Govt. of NCT of Delhi.
- 9. The Secretary to Hon'ble Minister (Industries, Labour, Election), Govt. of NCT of Delhi.
- The Secretary, Delhi Vidhan Sabha, Govt. of NCT of Delhi for kind information of Hon'ble Speaker & Hon'ble Dy. Speaker.
- 11. The O.S.D. to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, Players Building, I.P. Estate, New Delhi.
- Pr. Secretary (Labour), 7<sup>th</sup> Level, Delhi Sachivalaya, Players Building, I.P. Estate, New Delhi.
- 13. Labour Commissioner, 5, Sham Nath Marg, New Delhi.
- 14. The Dy. Secretary, GAD (in duplicate) for publication in the Delhi Gazette Part-IV. 10 copies of the Gazette may please be supplied to this Department.
- All Dy. Labour Commissioner/Joint Labour Commissioner, Labour department, Government of NCT of Delhi.
- 16. The Asstt. Director (Planning), Labour Department, 5, Sham Nath Marg, Delhi with the request to place it on table of the Vidhan Sabha.
- 17. Librarian, Labour Department, 5 Sham Nath Marg, Delhi.
- 18. Asstt. Programmer, Labour Department, 5, Sam Nath Marg, Delhi: for uploading notification on Labour Department website.

(Piyesh Sharma)

Joint Secretary (Labour)

Govt. of National Capital Territory of Delhi.

# दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

## श्रम विभाग ं

5, शांम नाथ मार्ग, दिल्ली -110094

संख्या एफ- 9(1)/89/डीo एलo सीo/(डब्लूय)/एलo सीo 1102-1130

दिनांक 11/6/12

# अधिसूचना

े फा० स० ९(1)/८९/डी० एल० सी०/(डब्लूय)/एल० सी० ...... श्रमायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा -प्रवृत बम्बई श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1953 (1953 का बम्बई अधिनियम 40) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल पूर्व प्रकाशन के उपरोक्त दिल्ली श्रम कल्याण निधि नियमावली 1997 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात-

## नियमावली

संक्षिप्त शीर्षक एव प्रारम्भ -

1(क) इन नियमो को दिल्ली श्रम कल्याण निधि (संशोध) नियमावली 2012 कहा जा सकेगा।

(ख) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि को प्रभावी होगें ।

नियम 12 का संशोधन -

2 दिल्ली श्रम कल्याण निधि 1997 के नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी । अर्थात

"12 बोर्ड में अधिकतम 17 सदस्य होगें जिनमे

- (क) नियोक्ता, कर्मचारियों और महिलाओं के प्रतिनिधियों में प्रत्येक के तीन –तीन सदस्य।
- (ख) दो स्वतंत्र सदस्य
- (ग) प्रधान सचिव (श्रम) / सचिव (श्रम) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या उसका प्रतिनिधि
- (घ) श्रमायुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या उसका प्रतिनिधि"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उन क्रे नाम पर

> (पीयूष शर्मा) संयुक्त सचिव (श्रम)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

5, शाम ना

- 1. बोर्ड के सभी सदस्य
- 2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार।

न्या / एल० सी० .....

- 3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
- 4. सचिव, माननीय मंत्री (शिक्षा, परिवहन, गुरूद्वारा चुनाव व प्रशासन )रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 5. सविच, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिचाई एवं बाढ नियंत्रण ) रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 6. सचिव, माननीय मंत्री (विदयत, खादय एव संभरण, विकास) रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 7. सचिव माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाषा )रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग अनु०जो / जन जा० कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एव भवन)राठराठ क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 9. सचिव, माननीय मंत्री (उदयोग, श्रम, चुनाव )रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 10. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
- 11. मुख्य सचिव, के विशेष कार्य अधिकारी रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिग, दिल्ली सचिवालय दिल्ली।
- 12. प्रधन सचिव, (श्रम) द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय दिल्ली।
- 13. श्रम आयुक्त, 5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली ।
- 14. उपसचिव, सा०प्र०वि०, रा०रा० क्षेत्र, दिल्ली सरकार (दो प्रतियां) इस कार्याल को दस कापिया उपलब्ध कराई जाए।
- 15. सभी संयुक्त श्रमायुक्त, / उप श्रमायुक्त, श्रम विभाग दिल्ली।
- 16. सहायक निदेशक (योजना) श्रम विभाग रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार 5 शामनाथ मार्ग दिल्ली —110054 को इस अनुरोध के साथ कि वे इस विधान सभा के पटल पर रखे ।
- 17. पुस्तकालय अध्यक्ष श्रम विभाग 5 शामनाथ मार्ग दिल्ली।
- 48. सहायक प्रोग्रामर श्रम विभाग 5 शाम नाथ मार्ग दिल्ली को इस अधिसूचना को श्रम विभाग की बेव साईट पर अपलोड करने हेतु।

(पीयूष शर्मा) संयुक्त सचिव (श्रम) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार